सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आश्विन 28, बुधवार, शाके 1943-अक्टूबर 20, 2021
Asvina 28, Wednesday, Saka 1943- October 20, 2021

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 20, 2021

संख्या एफ.15(25)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन(पार्ट)/2020/877 :- स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.) (गठन) ( ) डीएलबी/20/2285 दिनांक 20.07.2021 के द्वारा नगरपालिका लालगढ जाटान, जिला श्रीगंगानगर के संबंध में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 1485 दिनांक 25.3.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए सैनिक छावनी एरिया, 10 एलएलजी, 19 एसडीएस, 21 एसडीएस व 7 एलएलजी (ब्लॉक संख्या 194, 119, 116 व 220) की सीमा होने से नगर पालिका लालगढ जाटान से पृथक कर दिया गया है । जिससे उक्त सैनिक छावनी एरिया को पुन: पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में सम्मिलित कर दिये जाने के कारण संबंधित जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों का एकल निर्वाचन क्षेत्र तथा जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच पद एवं संबंधित ग्राम पंचायतों का आरक्षण प्रभावित हो गया है ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधि नियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-12(2), 13(2) व 14(2) तथा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3 व 4 के तहत यथा जिला परिषद व पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के वार्डों (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों) का पुनर्गठन / पुनर्सीमांकन / पुनर्निर्धारण व प्रकाशन करने हेतु जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर को अधिकृत करते हुए प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया जाता है । उक्त सैनिक छावनी एरिया को पुन: पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में सम्मिलित कर दिये जाने के कारण पंचायत समिति, जिला परिषद एवं ग्राम पंचायतों के वार्डों (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों) के आरक्षण तथा प्रधान या सरपंच पदों का आरक्षण प्रभावित हो रहा हो तो पुन: निर्धारण कर श्रेणीवार आवंटन करने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधि नियम, 1994 की धारा-15 व 16 तथा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 5, 6, 7, 8 व 9 की शक्तियां जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर को प्रत्यायोजित करती है ।

आज्ञा से,
पी.सी.किशन,
शासन सचिव।

5458

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।